

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

36

पत्रांक : 92/प्र0अ0(त0स0-2)/जौन-2/2014-15 दिनांक 06/02/2016


अनुमति-पत्र


यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह - सनसना चाहिये कि इस भूमि के उपयोग में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इलाका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के अधिकारों पर किसी का कोई आसर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के गिल्डक्यप या स्थापित के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री महन्त देवेन्द्र सिंह, चेला महन्त रावल सिंह निर्मल पंचायती अखाड़ा द्वारा आरजी संख्या-46 गौजा-शहरराबाग, तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जौन संख्या (2) के अन्तर्गत वास्तविक व्यवसायिक/ आवासीय भवन मानचित्र के काम में निर्माण के प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है -

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपरोक्त अधिनियम किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपरिदि 20.00 मी लम्बाई संख्या 2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रावधान पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निम्न किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को कार्यात्मक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट के एक बोर्ड लगाकर प्रधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र जानकारी देवकरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के जर्म का नाम भी अंकित हो।
4. निर्मित किये जाने वाले भवन की संरचना, सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
5. उपस्थापना सुविधाओं के अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मनाचित्र की स्वीकृति के काम में कोई विस्तृत देयता/प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं तो उसका अनुपालन/अनुपालन आवेदक को करना बाध्यकारी होगा।
6. मानचित्र में दर्शाए गए गार्डरूमेज एरिया एवं सेट बैक के दू-भाग पर किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण पूर्णता विधिगत होगा।
7. मानचित्र में दर्शाए दू-बो डिजाइनिंग प्लान को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर स्वयं करना होगा।
8. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति फूटज पर 19.44 वर्गमीटर एवं प्रथम प्लान पर 19.44 वर्गमीटर पर निर्माण की अनुमति देनी है। परन्तुसार ही निर्धारित क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जाय।
9. नाननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति नाननीय न्यायालय के निर्बंध के अधीन होगी। यह स्वीकृति दू-सामग्री का अधिकार प्रदान नहीं करती है। दू-सामग्री सन्तुष्टी कोई भी विवाद स्वयं न्यायालय/प्रधिकारी द्वारा ही निपटारा किया जा सकता है।
10. निर्दिष्ट समय पर जारी शसनवादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्रधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे वह लो जमा करना होगा।
11. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. यह स्वीकृति पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
13. नगर निर्बंध से यदि नालों के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नली के किसी भाग (जो गमन के लिए गमन, पूरक भाग अथवा उसके अकार के कारण डक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अस्तमा जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
14. गृह निर्माण के समय इत्यादि भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इलेक्ट्रिकल इन्फेक्ट्रिटी एक्ट 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले जाते गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
15. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को नकल की नीव तक तथा छत तक प्रन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना नकल आदात होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदती का नाम भी देना होगा जिसके निरोक्षण में नकल निर्मित हुआ है।
16. यदि निर्माण में मरुदर खान का उत्खनन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति रद्द सनशी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।


 Anil Kumar
 10/02/16
 9415235961


 (एकर श्रीवास्तव)
 विशेष कार्यकारी




AREA STATEMENT

S. No.	DESCRIPTIONS	AREA in Sqm.
1	PLOT AREA	280.29
2	ROAD WIDENING AREA IN FRONT	89.51
3	LANE WIDENING AREA IN REAR	19.80
4	NET PLOT AREA (1-2-3)	199.98
5	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (40% OF N.P.A.)	79.99
6	PERMISSIBLE F.A.R. (1.20 OF N.P.A.)	239.98
7	EXISTING COVERED AREA AT GROUND FLOOR	198.27
8	EXISTING TO BE DEMOLISHED AREA AT G. F.	73.38
9	NET EXISTING COVERED AREA AT GROUND FLOOR	85.89
10	PROPOSED COVERED AREA GROUND FLOOR	19.44
11	EXISTING COVERED AREA AT FIRST FLOOR	50.96
12	PROPOSED COVERED AREA FIRST FLOOR	19.44
13	TOTAL FLOOR AREA	175.73

LEGEND

1. PROPOSED COVERED AREA S.T.

2. OLD EXISTING, TO BE DEMOLISHED S.T.



SCHEDULE OF DOOR/WINDOW

S. N.	PARTICULAR	SIZE
1.	DOOR R/S	1800X2550
2.	CH	1050X2550
3.	D2	1000X2000
4.	D4	750X2000
5.	WINDOW W3	1200X1650
	V	600X 600

PROJECT
PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON PART OF ARAZI NO.-46, AT MAUZA SHAHRARABAH, TEHSIL SADAR, DIST. ALLAHABAD

DRG. NO. HMC/PROP.-20/42/NOV.-14

SHEET NO. 1

SIZE A2

DETAILED BY:

CHECKED BY: Er MITHLESH KUMAR

DATE: NOV. 14

REV. DATE: JULY 15

SCALE: 1:100

CERTIFIED THAT THIS MAP IS AS PER PROVISIONS OF MASTER PLAN 2021 AND UPVICH1 2012.

Er MITHLESH KUMAR
B.Tech (CIVIL) M.E.
Regd. No. 14-149374-9
THE INSTITUTION OF ENGINEERS (INDIA)
SEAL & SIGN OF ENGINEER

SIGN OF OWNER

OWNER NAME

ARCHITECTURAL DESIGNER, ENGINEER'S ESTIMATOR'S, PLANNER'S & BUILDER'S

HOME MAKER'S AND CONSULTANT

67F-701/4/32, STANLEY ROAD NEHA NAGAR CROSSING ALAHAABAD. MOBILE: 7680009119
email-mithleshk11@gmail.com